

प्रधानमन्त्री कृषि आयोग
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल दिनांक 24/07/2023

//आदेश//

क्र. 3788/जीआरएस/स्था./2023, विकास आयुक्त कार्यालय के आदेश दिनांक 27/04/2017 के द्वारा ग्राम रोजगार सहायकों को राशि ₹ 9,000/- प्रतिमाह मानदेय प्रदाय किया जा रहा है। मंत्रि-परिषद् के आयटम क्रमांक 11 आदेश दिनांक 12/07/2023 द्वारा ग्राम रोजगार सहायक को देय मासिक मानदेय ₹ 9000/- से बढ़ाकर ₹ 18000/- किया गया है।

2/ अतः मंत्रि-परिषद् आदेश दिनांक 12/07/2023 से ग्राम रोजगार सहायकों को मासिक मानदेय राशि ₹ 18,000/- किया जाता है।

3/ उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(राकेश कुशर)
उप सचिव 24/07/23

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

भोपाल दिनांक 24/07/2023

3788

पृ.क्र. /जीआरएस/स्था./2023

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी म.प्र. भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग मध्यप्रदेश भोपाल।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. भोपाल।
4. निज सचिव, मा.मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
5. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
6. संभागायुक्त, समस्त, मध्यप्रदेश।
7. आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल।
8. संचालक, पंचायतराज संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
9. संयुक्त आयुक्त, बजट विकास आयुक्त कार्यालय।
10. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला समस्त (म.प्र.)
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला पंचायत (समस्त) म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत पंचायत (समस्त) म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(राकेश कुशर)
उप सचिव 24/07/23

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग



AnyScanner



Scanned with OKEN Scanner